



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./जोन-13/2023/डी-2172

दिनांक:- 7/8/23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत कर भूखण्ड का पट्टा/नामहस्तांतरण हेतु आवेदन किया गया है :-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.) में	नाम/पता	समिति का नाम	योजना का नाम	नामहस्तांतरण/लीजडीड / फी होल्ड लीजडीड/अन्य
1.	38	145.61 वर्गगज	श्रीमती अर्चना कुलश्रेष्ठ पत्नी श्री आलोक सिंह	हथरोई गढी गृह निर्माण सहकारी समिति	जगदीशपुरी कानोता	गुमशुदगी की रिपोर्ट, के आधार पर लीजडीड जारी करने बाबत।

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना का प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड की लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर

प्रतिलिपि

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त, जोन-13  
जविप्रा, जयपुर

उपायुक्त, जैन-7  
 जयपुर, जयपुर।

**प्रतिनिधि-** जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सांविधानिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर सम्भार पत्र में कराने का श्रम करावे।

उपायुक्त, जैन-7  
 जयपुर, जयपुर।

क. आदेशक का नाम	मूल आवेदी का नाम	संखण्ड संख्या	संखण्ड क्षेत्रफल	मू.नि.स.स./निजी स्वामित्व/संयोजना/...	संयोजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती सुजाता नारायण पत्नी श्री नरेश नारायण	श्री सतीश वन्द गुप्ता पुत्र श्री भावती प्रसाद गुप्ता	216.67 वर्ग मी.	जयपुर	संयोजना	नाम	अपेक्षित बसोबास/संयोजना/...
						पट्टा	आधार सार पर

निम्नानुसार है -

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे / अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं। जिनका विवरण

आम सूचना

दिनांक 7/8/2023

कमांक: जयपुर/सं.प./जैन-7/2023/श्री-15-80





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक:जविप्रा/उपा/जोन-11/2023/डी - 2251

दिनांक 04/8/23

## आम सूचना

निम्न आवेदक द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटी का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल	गृ.नि.स.स. /निजी खातेदारी योजना /जविप्रा-योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1.	श्री मनीष कुमार शर्मा पुत्र श्री कमलेश कुमार शर्मा	श्री कमलेश कुमार शर्मा पुत्र श्री बनवारी लाल शर्मा नारायणपुर	ए-196	45 वर्गमीटर	जविप्रा योजना	अनुपम विहार	नाम हस्तान्तरण हेतु	मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र, पारिवारिक सजरा प्रमाण पत्र एवं हकत्याग के आधार पर

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को उक्त विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

उपायुक्त जोन-11  
जविप्रा, जयपुर।

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दूरभाष - (+91-141-2574798) : ईपीबीएक्स - +91-141-2569696 एकसटेशन : (7402): फैक्स - +91-141-2574555

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102774

दिनांक: 07/08/2023

लोक सूचना

अभिनन्दन बिल्डहोम प्रा.लि. जरिये निदेशक श्री मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाशचन्द अग्रवाल पंजीकृत कार्यालय 69, 10बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	हरबंशपुरा सांगानेर (जयपुर)	अभिनन्दन बिल्डहोम प्रा. लि. पंजीकृत कार्यालय 69, 10बी स्कीम, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर।	188/65	1138	0.1138
			192/65	100	0.010
कुल					0.1238

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **07-08-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102775

दिनांक: 07/08/2023

लोक सूचना

श्री विकास दुसाद पुत्र स्व. श्री आर.के. दुसाद 21, विद्युत नगर-ए प्रिन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	हरबंशपुरा सांगानेर (जयपुर)	श्री विकास दुसाद पुत्र स्व. श्री आर.के. दुसाद 21, विद्युत नगर-ए प्रिन्स रोड, वैशाली नगर, जयपुर।	187/65	148	0.0148
			191/65	1015	0.1015
कुल					0.1163

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **07-08-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102776

दिनांक: 07/08/2023

लोक सूचना

श्रीमती मंजू चौहान पत्नी श्री रमेश कुमार चौहान एवं श्रीमती सरोज चौहार पत्नी श्री लोकेश 42, साहू निवास, शिव मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	हरबंशपुरा सांगानेर (जयपुर)	श्रीमती मंजू चौहान पत्नी श्री रमेश कुमार चौहान एवं श्रीमती सरोज चौहार पत्नी श्री लोकेश 42, साहू निवास, शिव मार्ग, सिविल लाईन्स, जयपुर।	186 / 65	150	0.0150
			190 / 65	435	0.0435
			205 / 65	1100	0.11
			209 / 65	900	0.09
				कुल	0.2585

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **07-08-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-11  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102771

दिनांक: 07/08/2023

लोक सूचना

मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल बी-31-32, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का आवासीय प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्गमीटर)	क्षेत्रफल (हैक्टे.)
1.	हरबंशपुरा सांगानेर (जयपुर)	मनीष अग्रवाल पुत्र श्री कैलाश चन्द अग्रवाल बी-31-32, गोकुल वाटिका, जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर।	196 / 65	1764	0.1764
			206 / 65	450	0.0450
			202 / 65	200	0.02
				कुल	0.2414

इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयाजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉन इन कर **90-A For Development Authority (UDH)** आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपरोक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **07-08-2023** को जारी की गयी।

  
प्राधिकृत अधिकारी (जोन-11)  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर



क्रमांक:जविप्रा/उपा. जोन-14/2023/डी- 2028

दिनांक:-07/08/2023

सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 60 मीटर चौड़ी जोनल प्लान सड़क से प्रभावित भूमि राजस्व ग्राम डाबला बुजुर्ग तहसील माधोराजपुरा के ख.नं. 518/3 रकबा 1.0748 है० सम्पूर्ण को खातेदार छोटूराम पुत्र भोरीलाल, जगदीश पुत्र भोरीलाल, नाथीदेवी पत्नि भोरीलाल, श्रवणलाल पुत्र भोरीलाल द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित निति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है ।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन-14 कार्यालय में 07 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है । उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी । कृपया सूचित रहे ।

सचिव

जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

1. जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है ।
2. रक्षित पत्रावली ।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।





# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

[www.jda.urban.rajasthan.gov.in](http://www.jda.urban.rajasthan.gov.in)

क्रमांक— जविप्रा/जोन-14/2023/डी- 2829

दिनांक 07/08/2023

## सार्वजनिक नोटिस

जयपुर विकास प्राधिकरण क्षेत्र की 200 फीट चौड़ी (रिंग रोड से पहाडिया डिग्गी रोड, टोंक रोड को जोड़ने वाली) सेक्टर कॉमर्शियल सडक में आ रही भूमि ग्राम पहाडिया तहसील माधोराजपुरा के ख.न. 1410/20 रकबा 2.5290 हैक्ट. में खातेदार कमलेश कुमार कुमावत पुत्र लक्ष्मीनारायण कुमावत निवासी गोगियावास तह. चाकसू एंव ग्राम मोहब्बतपुरा तहसील माधोराजपुरा के ख.न. 1 रकबा 0.2908 हैक्ट. में खातेदार विमला माहेश्वरी पत्नी श्री ओमप्रकाश माहेश्वरी निवासी प्लाट नं. 8/सी-30 प्रताप नगर, प्रथम, टोंक फाटक, जयपुर, कुल किता 2 कुल रकबा 2.8198 हैक्ट. द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 1982 की धारा 44 के तहत समर्पण करते हुए राज्य सरकार की प्रचलित नीति/आदेश/परिपत्र के तहत विकसित भूमि प्राप्त करने हेतु आवेदन, समर्पणनामा व क्षतिपूर्ति बंध पत्र जोन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

सभी संबंधितजनों को सूचित किया जाता है कि यदि उक्त समर्पित भूमि बाबत यदि कोई न्यायिक प्रकरण/स्थगन/वाद विवाद/स्वामित्व संबंधित विवाद हो तो कृपया जोन 14 कार्यालय में 7 दिवस में मय समुचित संबंधित दस्तावेजात् आपत्ति प्रस्तुत की जा सकती है। उक्त निर्धारित समयावधि के पश्चात् कोई आपत्ति स्वीकार्य नहीं होगी। कृपया सूचित रहें।

सचिव,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर

प्रतिलिपि:-

1. जन सम्पर्क (अधिकारी) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
2. रक्षित पत्रावली

उपायुक्त, जोन-14  
जयपुर विकास प्राधिकरण अधिकारी  
जोन जयपुर

# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

पृथ्वीराज नगर(उत्तर), कार्यालय, चित्रकूट स्टेडियम, वैशाली नगर।

क्रमांक:-जविप्रा/उपा./पीआरएन-उत्तर(प्रथम)/2023/डी- 783

दिनांक:- 4/1/23

-: आम सूचना :-

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	मूल आवंटि का नाम	भूखण्ड संख्या	भूखण्ड क्षेत्रफल (व.ग.)	गृ.नि.स.स.	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिये आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	श्रीमती रतन कंवर पत्नी श्री महेन्द्र सिंह तंवर	श्री बलवेन्द्र सिंह गरेवल पुत्र श्री हरनेक सिंह	81-सी वेस्ट पार्ट	150	शंकर भवन	विनायक एनक्लेव	फ्री-होल्ड पट्टे हेतु	सोसायटी द्वारा जारी मूल आवंटन पत्र, श्रुखलाबद्ध दस्तावेज एवं अपंजीकृत इकरारनामे के आधार पर।

उपायुक्त एवं प्राधिकृत अधिकारी  
उपायुक्त पीआरएन-उत्तर (प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर

प्रतिलिपि :- जनसम्पर्क अधिकारी जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है की राज्य सरकार के आदेशो के क्रम मे विज्ञापित कर प्रकाशित करावस्था जाना सुनिश्चित करें।

उपायुक्त पीआरएन-उत्तर (प्रथम)  
जयपुर विकास प्राधिकरण - जयपुर  
जविप्रा, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/उपा. जोन-8/2023/डी-2054

दिनांक: 7/8/2023

आम सूचना

निम्न आवेदकों द्वारा सम्पत्ति के पट्टे/अन्य कार्य के हेतु आवेदन प्रस्तुत किये गये हैं, जिनका विवरण निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	आवेदक का नाम	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	खसरा क्षेत्र	गृ.नि.स.स. / निजी खातेदारी योजना / जविप्रा योजना	योजना का नाम	सेवा, जिसके लिए आवेदन किया गया	कार्यवाही हेतु प्रस्तुत दस्तावेज
1	पोसवाल रियल एस्टेट प्रा0 लि0 जरिये निदेशक श्री सीताराम गुर्जर पुत्र श्री रतनलाल गुर्जर	श्री कल्याण सहाय मीणा पुत्र श्री दामोदर मीणा	ग्राम बम्बाला तहसील सांगानेर खसरा नम्बर 811 रकबा 0.82 है0 खसरा नम्बर 812 रकबा 0.73 है0	1.55 है0	निजी खातेदारी	उदय वाटिका	रिकार्ड में नाम इद्राज करने बाबत।	पंजीकृत हकत्याग पत्र एवं मृत्यु प्रमाण पत्र होने से।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।

प्रतिलिपि:- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जविप्रा के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

उपायुक्त जोन-8  
जविप्रा, जयपुर।



# जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

www.jda.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक-जविप्रा/उपा./जोन-14/2023/डी-2018

दिनांक 07-8-23

## सार्वजनिक सूचना

निम्न भूखण्डधारियों द्वारा दस्तावेज/आवेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का नामहरस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने हेतु आवेदन किया गया है:-

क्र. सं.	भूखण्ड संख्या	नाम/पता	समिति का नाम/निजी खातेदारी/जविप्रा.	योजना का नाम	विवरण
1.	14/OF/S/79	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
2.	14/OF/144	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
3.	14/OF/S/80	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
4.	14/OF/113	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
5.	14/OF/S/81	श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
6.	14/OF/S/238	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
7.	14/OF/366	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
8.	14/OF/403	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु
9.	14/OF/424	श्री छोटी लाल शर्मा पुत्र श्री भौरीलाल शर्मा एवं श्री मोहन लाल शर्मा, जयनारायण शर्मा, राजूलाल शर्मा, लादूराम शर्मा, बाबूलाल शर्मा पुत्रान श्री मोतीलाल शर्मा	जविप्रा	रिंग रोड योजना	नामहरस्तान्तरण/लीजडीड हेतु

उक्त भूखण्ड का आवेदक के पक्ष में नामहरस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने पर किसी व्यक्ति, वारिस एवं संस्था को आपत्ति हो तो मय साक्ष्य के इस सूचना की प्रकाशन तिथि से 7 दिवस के भीतर कार्यालय समय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत करें, अन्यथा आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने की दशा में उक्त भूखण्ड का नामहरस्तान्तरण/लीजडीड जारी करने की कार्यवाही कर दी जावेगी।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण,  
जयपुर।

प्रतिलिपि:-

- जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर को उक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन हेतु प्रेषित है।
- रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त जोन-14,  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर  
जोन-14 जविप्रा जयपुर

राम किशोर व्यास भवन, इन्दिरा सर्किल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर-302004

दुरभाष : Direct Line-0141-2576296(O), EPBX-0141-2569696, Ext.: 8380, Fax-0141-2574555, e-mail:

dc.zone14.jda@rajasthan.gov.in

कार्यालय प्राधिकृत अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांक: LU2012/JDA/2023-24/102720

दिनांक: 02/08/2023

लोक सूचना

श्री RAKESH KUMAR YADAV पुत्र श्री MOOLCHAND YADAV जाति YADAV निवासी SHRI MURLI HOUSE JAIPUR BAG LALRPURA GANDHI PATH, JAIPUR- 302021

श्री MOOLCHAND YADAV पुत्र श्री, SHRAWAN LAL YADAV जाति YADAV निवासी SHRI MURLI HOUSE JAIPUR BAG LALRPURA GANDHI PATH, JAIPUR- 302021

श्रीमति MAMTA DEVI पत्नी श्री KANHAIYA LAL YADAV जाति YADAV निवासी SHRI MURLI HOUSE JAIPUR BAG LALRPURA GANDHI PATH, JAIPUR- 302021

श्री SARITA DEVI पत्नी श्री RAKESH YADAV जाति YADAV निवासी SHRI MURLI HOUSE JAIPUR BAG LALRPURA GANDHI PATH, JAIPUR- 302021

श्री KANHAIYA LAL YADAV पुत्र श्री MOOLCHAND YADAV जाति YADAV निवासी SHRI MURLI HOUSE JAIPUR BAG LALRPURA GANDHI PATH, JAIPUR- 302021


ने इस कार्यालय में नीचे उल्लिखित भूमि का पर्यटन इकाई प्रयोजन के उपयोग हेतु ऐसी भूमि के अपने अभिधृति अधिकारी के निर्वापन के लिए आवेदन प्रस्तुत किया है, अर्थात:-

क्र. सं.	ग्राम तहसील व जिले का नाम	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)	क्षेत्रफल (हेक्टे.)
1.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	MOOLCHAND YADAV	302/318	1012	0.1012
2.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	KANHAIYA LAL YADAV, MAMTA YADAV & SARITA YADAV	211/302	8852	0.8852
3.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	KANHAIYA LAL YADAV, MAMTA YADAV & SARITA YADAV	212/303	8600	0.86
4.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	RAKESH KUMAR YADAV	303/322	1138	0.1138
5.	कनकपुरा, जयपुर (जयपुर)	MOOLCHAND YADAV	303/323	1138	0.1138
				कुल	2.074


इसलिए, इसके द्वारा समस्त संबंधित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम, 1955 की धारा 63 के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजनों के लिए भूमि के उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने और अभिधृति अधिकारों के निर्वापन पर कोई आक्षेप है तो वह इस नोटिस के प्रकाशन के 7 दिन के भीतर-भीतर अपनी एसएसओ आईडी से लॉग इन कर 90-A For Development Authority (UDH) आईकॉन पर जाकर समर्थक दस्तावेज को अपलोड कर अपना आक्षेप दर्ज कर सकते हैं।

उपर्युक्त नियम समय के भीतर-भीतर किसी आक्षेप के अभाव में यह समझा जायेगा कि किसी को आक्षेप नहीं है और तदनुसार मामले का निपटारा किया जावेगा।

यह सूचना मेरे हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज **02-08-2023** को जारी की गयी।

  
उपायुक्त, अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

**प्रतिलिपि:-** जनसम्पर्क अधिकारी, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि नगरीय विकास विभाग, राज. सरकार के आदेश दिनांक 14.03.2022 के क्रम में उक्त सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन जयपुर के व्यय पर समाचार पत्र में कराने का श्रम करावें।

  
उपायुक्त, अधिकारी जोन-07  
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।